राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3585/2019

सत्यनारायण चौधरी पुत्र तेजमल चौधरी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम ठिकरिया कलां, पोस्ट बजाड़, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव (गृह), गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, टोंक रोड, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती), राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, जिला कोटा

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री आर.पी. सैनी
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री रूपिन काला, जीसी

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>29/03/2022</u>

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना करके दायर की गई है:-

> "सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय इस रिट याचिका को स्वीकार करने और अनुमति दे:
> (i) एक उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ कांस्टेबल जनरल के पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाए।
> (ii) एक उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करें, प्रत्यर्थी को नियुक्ति-पत्र देने और याचिकाकर्ता को इस आधार पर सेवा में शामिल होने की

अनुमति देने का निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

(iii) एक उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करें कि, दिनांक 19.11.2018 के आदेश को कृपया अपास्त कर दिया जाए।

(iv) एक उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जिससे प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाए कि वे कांस्टेबल जनरल के पद के लिए याचिकाकर्ता की नियुक्ति को अपास्त न करें।

(v) कोई अन्य उचित आदेश पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित, न्यायसंगत और उचित समझे।

(vi) रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जाए।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि कांस्टेबल पद के लिए चयन करने वाले प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 25.05.2018 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद एक सफल उम्मीदवार पाया गया। हालाँकि, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि चयन प्रक्रिया के समय उसके विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और लंबित था, अतः, वह कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं है।

3. वर्तमान रिट याचिका दायर करने के माध्यम से याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता को समझौते के आधार पर दिनांक 10.07.2013 (अनुलग्नक-5) के तहत आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया गया है, गवाह मुकर गए और उसके विरूद्ध आरोप लगाया गया अपराध वह नैतिक अधमता या राज्य के विरुद्ध हिंसा से संबंधित नहीं है, अतः वह नियुक्ति का पात्र है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद भी उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया है, अतः, वह 25.05.2018 के विज्ञापन के अनुसार कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति का पात्र है।

5. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में सफल होने के बाद सत्यापन के दौरान पाया गया कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, अतः प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता को निचली अदालत के आदेश दिनांक 10.07.2013 (अनुलग्नक-5) द्वारा कथित आपराधिक मामले में समझौते

के आधार पर बरी कर दिया गया था और गवाह मुकर गए थे, लेकिन बरी किया जाना सम्मानजनक बरी नहीं था और अतः प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 19.11.2018 के आदेश के तहत कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को सही ढंग से अपास्त कर दिया।

6. अधिवक्ता ने **राजस्थान राज्य और अन्य बनाम लव कुश मीना, (2021) 8 एससीसी 774** में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया, जहां पैरा-24, 25 और 28 में इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

> "24. "उपरोक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मामले में विवाद की जांच करते हुए, इस तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय का दृष्टिकोण आरोपित अपराध की प्रकृति और उसके परिणाम पर निर्भर रहा है। बरी होने का केवल तथ्य पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या यह साक्ष्यों के पूर्ण अभाव के आधार पर साफ बरी है या आपराधिक न्यायशास्त्र में मामले को उचित संदेह से परे सिद्ध करने की आवश्यकता है, पैरामीटर पूरा नहीं होने पर, लाभ मिलेगा अभियुक्त को संदेह की छूट दे दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है, वर्तमान मामले के तथ्यों में, जिस व्यक्ति ने मृत महिला के ऊपर ट्रैक्टर चलाया था, वह अन्य सह-अभियुक्तों में से एक था, लेकिन प्रत्यर्थी सहित अन्य को जो भूमिका सौंपी गई थी, वह केवल एक दर्शक की या मौके पर मौजूद होने की नहीं थी। प्रत्यर्थी सहित अन्य सभी सह-आरोपियों के विरूद्ध चाकुओं से हमला करने का आरोप लगाया गया था।
>
> 25. हम यह भी देख सकते हैं कि यह एक स्पष्ट मामला है जहां प्रयास विवाद को सुलझाने का था, भले ही नौकरी को ध्यान में रखकर नहीं। ट्रायल कोर्ट के निर्णय में दोहराए जाने से यह स्पष्ट है कि समझौते योग्य अपराधों को पहले मुकदमे के दौरान समझौता कर लिया गया था, लेकिन चूंकि आई.पी.सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध को समझौता नहीं किया जा सका, अतः ट्रायल कोर्ट ने जारी रखा और उन अपराधों के लिए गवाह मुकर गए। हमारा विचार है कि यह शायद ही किसी साफ़ बरी की श्रेणी में आ सकता है और न्यायाधीश इस तरह के बरी होने के संबंध में संदेह के लाभ की शब्दावली का उपयोग करने में सही थे।
>
> 28. हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि 28.03.2017 का परिपत्र निस्संदेह अपने आवेदन में बहुत व्यापक है। इसका उद्देश्य संदेह का लाभ देकर न्यायालय द्वारा बरी किए गए लोगों सहित उम्मीदवारों को लाभ देना है। हालाँकि, इस तरह के परिपत्र को न्यायिक घोषणाओं के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और जब इस न्यायालय ने बार-बार राय दी है कि संदेह का

लाभ देने से उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, तो परिपत्र के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी का दिनांक 23.05.2017 का आक्षेपित निर्णय नहीं दिया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि यह सर्कुलर का उल्लंघन है जबकि यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है।"

7. **अधिवक्ता ने पुलिस आयुक्त बनाम राज कुमार, (2021) 8 एससीसी 347** में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भी भरोसा किया। जहां पैरा-15, 16, 17, 31 और 32 में इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

"15. इस न्यायालय ने, अतीत में, कई अवसरों पर, ऐसे प्रश्नों का समाधान किया है जो समान हैं, यदि पूरी तरह से वर्तमान मामले में शामिल नहीं हैं, चाहे किसी आवेदक/उम्मीदवार के दोषमुक्ति या बरी होने की स्थिति में हों, जैसे कि विभिन्न अपराधों का अभियुक्त उसकी उपयुक्तता पर विचार करने के लिए एक निर्णायक कारक है। अतीत में कई निर्णयों में एक ओर आरोपी व्यक्तियों को "साफ" बरी किए जाने और दूसरी ओर संदेह के लाभ के आधार पर बरी किए गए या दोषमुक्त किए गए लोगों के बीच अंतर बताया गया है। इसी तरह, जहां उम्मीदवारों पर नैतिक अधमता से जुड़े गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए थे और साथ ही बड़े परिणामों की जांच की गई थी। एक अन्य क्षेत्र जिस पर इस न्यायालय का ध्यान गया वह लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा न होने का प्रभाव था। मामला तब तूल पकड़ गया जब इन सभी मुद्दों को तीन न्यायाधीशों की बड़ी पीठ द्वारा आधिकारिक निर्णय के लिए भेजा गया।

16. अवतार सिंह (सुप्रा.) मामले में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने, ऐसे मामलों से निपटने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को बुलाए जाने पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों की विस्तृत चर्चा के बाद, निम्नलिखित तरीके से अपने निष्कर्ष दर्ज किए: (एससीसी पृष्ठ 507, पैरा-38)

"38. "हमने विभिन्न निर्णयों पर ध्यान दिया है और जहां तक संभव हो सके उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम अपने निष्कर्ष को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

38.1 किसी उम्मीदवार द्वारा दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या गिरफ्तारी या आपराधिक मामले

> के लंबित होने के संबंध में नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे सेवा में प्रवेश करने से पहले या बाद में सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।
>
> 38.2 " सेवा-समाप्ति का आदेश पारित करते समय अथवा गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी अपास्त करने पर, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, का ध्यान रखेगा ।"

17. इस संबंध में बाद के निर्णय भी हैं जो जोगिंदर सिंह बनाम राज्य (चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश: राज्य केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाम प्रदीप कुमार और अनिल भारद्वाज बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय) मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हैं, प्रत्येक में तथ्यों का विश्लेषण करने से पहले अपील, मेहर सिंह (सुप्रा.) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण को पुन: प्रस्तुत करना भी उपयोगी होगा जहां इसे इस प्रकार माना गया था: (मेहर सिंह मामला, एससीसी पृष्ठ 703, पैरा-35)

> "35.पुलिस बल एक अनुशासित बल है। यह समाज में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। लोग इस पर गहरी आस्था और विश्वास रखते हैं। पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। उसके पास बेदाग चरित्र और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा। भले ही उसे आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया हो या आरोपमुक्त कर दिया गया हो। उस दोषमुक्ति या आरोपमुक्त करने के आदेश की जांच यह देखने के लिए करनी होगी कि क्या उसे मामले में पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि यहां तक कि उसके अपराध में शामिल होने की संभावना भी उसके लिए खतरा पैदा करती है। पुलिस बल का अनुशासन. अतः, स्थायी आदेश ने इन मामलों में निर्णय लेने का काम स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा है। स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम माना जाना चाहिए जब तक कि वह

> दुर्भावनापूर्ण न हो। हाल के दिनों में पुलिस बल की छवि धूमिल हुई है. सत्ता का दुरुपयोग करके पुलिस कर्मियों के मनमाने तरीके से व्यवहार करने के उदाहरण सार्वजनिक हैं और चिंता का विषय हैं। पुलिस बल की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है. ऐसी स्थिति में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी जैसे तंत्र के महत्व और प्रभावकारिता को कम नहीं करना चाहेंगे कि जिन लोगों से इसकी विश्वसनीयता कम होने की संभावना है, वे पुलिस बल में न आएं। साथ ही, स्क्रीनिंग कमेटी को अपने ऊपर जताए गए भरोसे के महत्व के प्रति सचेत रहना चाहिए और सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।"

31. सार्वजनिक सेवा-किसी भी अन्य की तरह, यह मानती है कि राज्य नियोक्ता के पास स्वतंत्रता या विकल्प का एक तत्व है कि उसकी सेवा में किसे प्रवेश करना चाहिए। सिद्धांतों पर आधारित मानदंड, योग्यता, अनुभव, आयु, उम्मीदवार को दिए गए प्रयासों की संख्या आदि जैसे आवश्यक पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। ये मोटे तौर पर सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार या आवेदक के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों का गठन करते हैं। संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार्य है कि वे मानदंड निष्पक्ष और उचित हैं, और उन्हें गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है। हालाँकि, उपयुक्तता पूरी तरह से अलग है; सार्वजनिक नियोक्ता की स्वायत्तता या पसंद सबसे बड़ी है, जब तक कि निर्णय लेने की प्रक्रिया न तो अवैध है, न अनुचित है, न ही प्रामाणिकता का अभाव है।

32. "उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, उम्मीदवारों की युवावस्था और उम्र के बारे में उसकी टिप्पणियों से स्पष्ट है। व्यवहार की सामान्य स्वीकार्यता पर संकेत देता प्रतीत होता है जिसमें छोटे अपराध या दुष्कर्म शामिल हैं। आक्षेपित आदेश एक व्यापक दृष्टिकोण का संकेत देता है कि युवाओं की उम्र और ग्रामीण परिवेश को देखते हुए इस तरह के दुष्कर्म को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इस न्यायालय की राय है कि इस तरह के सामान्यीकरण, जो अपराधी के आचरण को माफ करने की ओर ले जाते हैं, को न्यायिक निर्णय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। कुछ प्रकार के

अपराध, जैसे कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, या अतिचार और पिटाई, हमला, चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना, (हथियारों के उपयोग के साथ या बिना), ग्रामीण परिवेश में पीड़ितों को, जाति या पदानुक्रम-आधारित व्यवहार का संकेत भी हो सकता है । प्रत्येक मामले की जांच संबंधित सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा, उसके नामित अधिकारियों के माध्यम से की जानी है - विशेष रूप से, पुलिस बल के लिए भर्ती के मामले में, जो व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता से निपटने के कर्तव्य के तहत हैं, क्योंकि उनकी क्षमता जनता के विश्वास को प्रेरित करने की है। समाज की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है।"

8. मैंने पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है और उद्धृत निर्णयों (सुप्रा.) का भी अध्ययन किया है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पुलिस आयुक्त** एवं **राजस्थान राज्य बनाम लव कुश मीना (दोनों सुप्रा.)** के पास अवतार सिंह और मेहर सिंह (दोनों सुप्रा.) के मामले में जो देखा गया है उस पर विचार करने का अवसर था और उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार करते समय, नियोक्ता को इसकी जांच करनी होगी विशेष रूप से अनुशासित सुरक्षा बलों में नियुक्ति की पेशकश करने से पहले ऐसे उम्मीदवार के विरूद्ध आपराधिक पृष्ठभूमि को बहुत सूक्ष्मता से और उसकी संपूर्णता में देखें कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है और अतः समाज में कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी निभाती है। और चूंकि लोग पुलिस बल पर बहुत भरोसा करते हैं, अतः उसे भरोसे के लायक होना चाहिए।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पुलिस आयुक्त एवं राजस्थान राज्य बनाम लव कुश मीना (दोनों सुप्रा.)** के मामले में पारित निर्णयों के आलोक में, मेरा विचार है कि नियुक्ति की पेशकश करने से पहले, नियोक्ता को उम्मीदवार के विरूद्ध आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में उम्मीदवार की अनुशासित सुरक्षा बल की उपयुक्तता पर विचार करना होगा और अधिक विशिष्ट होना होगा और साथ ही बरी होने के मामले में यह भी जांचना होगा कि क्या यह सम्मानजनक बरी है या किन परिस्थितियों में गवाह मुकर गए हैं। नियोक्ता द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह देखना है कि क्या आपराधिक मामला नैतिक अधमता से संबंधित है। इन बिंदुओं पर कानून माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में तय किया गया है, जिनमें से कुछ को सुप्रा.

में संदर्भित किया गया है। अब जो बचता है वह यह है कि जहां साफ और सम्मानजनक बरी हो जाती है और उम्मीदवार के विरूद्ध कथित अपराध नैतिक अधमता से संबंधित नहीं होता है, वही नियुक्ति मांगने में बाधा नहीं बन सकता है, लेकिन यदि स्थिति इसके विपरीत है, तो उम्मीदवार नियुक्ति का पात्र नहीं है , जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है।

11. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा दायर यह रिट याचिका इन कारणों से, अपास्त करने योग्य है; सबसे पहले, हालांकि, याचिकाकर्ता को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 10.07.2013 के आदेश के तहत समझौते के आधार पर बरी कर दिया गया था और गवाह मुकर गए थे, लेकिन मेरे विचार में यह एक साफ बरी नहीं है, दूसरे, मामला अनुशासित सुरक्षा बलों में नियुक्ति के संबंध में, अतः, चयन समिति ने कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अपास्त करने में कोई अवैधता नहीं की है, तीसरा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के मद्देनजर पुलिस आयुक्त बनाम राज कुमार और राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम लव कुश मीना (दोनों सुप्रा.), मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं हूं।

12. अतः, वर्तमान रिट याचिका अपास्त की जाती है।

(इंद्रजीत सिंह), न्यायमूर्ति

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।